भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2015
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

बेरोजगारी से निपटने के लिए कार्य योजना

2015. श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में युवाओं की बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रतिवर्ष सृजित होने वाली नौकरियों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-वार कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं;

(घ) क्या आईआईएम, लखनऊ और सिटीगुप की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत को प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए क्या विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 52.9% और 56% था, जो दर्शाता है कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

देश में 2020-21 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा कामगार का प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस आँकड़ों के अनुसार, देश में रोज़गार वर्ष 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

श्रम बल संकेतक देश में बेहतर रोजगार परिदृश्य का प्रमाण प्रदान कर रहे हैं और सरकार ने सिटीग्रुप की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत 7% विकास दर के साथ भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए संघर्ष करेगा।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और अवसरों की प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर व्यापक उद्योग प्रभाग-वार कामगारों का अनुमानित विवरण (% में)

क्र. सं.	**एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	कृषि	46.5	45.5	45.8
2	खनन एवं उत्खनन	0.3	0.2	0.3
3	विनिर्माण	10.9	11.6	11.4
4	बिजली, पानी, आदि।	0.6	0.6	0.5
5	निर्माण	12.1	12.4	13.0
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.2	12.1	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.4	5.6	5.4
8	अन्य सेवाएं	12.0	11.6	11.4
	योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोतः पीएलएफएस